Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to set up a Bench of High Court of Bombay at Pune -laid.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): पूना पिंपरी चिंचवड शहर की आबादी करीबन डेढ़ करोड है, और पूना में हाई कोर्ट की बेंच नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने अदालती कार्यों हेतु मुंबई जाना पड़ता है जबकि मुंबई हाई कोर्ट में करीबन 45 प्रतिशत केस पूना एरिया से होते हैं और अपने केस हेतु पक्षकार को पूना से मुंबई जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है । इसके अतिरिक्त अहमदनगर, सतारा और सोलापुर के क्लाइंट भी अपने केस के लिए में मुंबई जाते हैं जबकि इन जिलों के लिए पूना ज्यादा नजदीक है ।

वर्तमान में महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद में हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच है अगर पूना में हाई कोर्ट के डिवीज़न बैंच देने की मंजूरी मिलती है जो लोग पूना, अहमदनगर, सतारा और सोलापुर से कोर्ट केस के लिए मुंबई जाते हैं उनको सुविधा प्राप्त होगी ।

जबकि मुंबई हाई कोर्ट में ज्यादा केस होने के कारण लोगो को समय से न्याय नही मिल पा रहा है ।

जबकि कहावत है कि "न्याय देर से मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है" इसी देर से न्याय मिलने के कारण आज लोगो का न्याय से भरोसा उठ रहा है, जबकि जल्दी से न्याय मिले यह सरकार की भी भावना है ।

अतः मैं सरकार से मुंबई हाई कोर्ट की बैंच, पूना में दिए जाने की मांग करता हूँ ।